(1). दिनांक 30.05.2016 को 63 वर्षीय मृतक के संबध में मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत हेतु एक प्रकरण पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी थाना कुरूद अंतर्गत चौकी बिरेझर से प्राप्त हुआ। दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 10.01.2016 को Swift Dzire No. CG04FF0009 एवं एक अन्य कार Swift Dzire No. CG04KX1110 के मध्य एक्सीडेंट हुआ था। उक्त दुर्घटना के समय न तो पुलिस में शिकायत किया गया और न ही चोटों (यदि कोई रहा हो) का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। दिनांक 03.02.2016 को प्रार्थी चौकी बिरेझर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10.02.016 को कार दुर्घटना में उसके 63 वर्षीय पिता के सिर में अंदरूनी चोट आने पर रायपुर के Private Superspeciality Hospital में ईलाज हेतु दिनांक 20.01.2016 को भर्ती किये हैं जो बेहोशी की हालत में है। ईलाज के दौरान दिनांक 05.02.2016 को मरीज की मृत्यु हो गयी, जिसका शव परीक्षण पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिसीन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. उल्हास गोन्नाडे द्वारा किया गया। उनके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिर पर आयी चोंट एवं उसकी जटिलताओं के कारण श्वास एवं हृदय गति रूकने के कारण हुई थी। उपचार संबंधी दस्तावेजों के अनुसार मृतक को पूर्व से ही Diabetes एवं Hypertension (मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप) की बीमारी थी जिसे दिनांक 20.01.2016 को घर में अचानक गिर जाने, शरीर के दाहिने हिस्से में कमजोरी Right Hemiplegia एवं बोलने में असमर्थता के कारण उसी दिनांक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज का C.T. Scan एवं M.R.I. कराया गया एवं Diagnosis – Left M.C.A. Stroke निर्धारित किया गया, जिसके कारण मस्तिष्क में रक्त स्त्राव होकर एकत्र होकर जम

गया था। मरीज का Left Fronto-temporo-parietal decompressive craniotomy दिनांक 22.01.2016 को किया गया | ECG रिपोर्ट में Myocardial Infarction (anterior, Lateral, inferior) था एवं हृदय का आकार बड़ा था। फेफडों में Bilaterial Pneumonia था। । Acute Renal Failure भी था। मृतक के सिर पर चोंट संबंधी कोई साक्ष्य नहीं था। शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक द्वारा हृदय एवं दोनों फेफडों को स्वस्थ बताया गया था। पुलिस द्वारा क्वेरी (Query) करने पर शव परीक्षणकर्ता चिकित्सक द्वारा अभिमत नहीं दिया गया। उक्त दोनों मतों में विरोधाभास होने के कारण प्रकरण मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत हेतु मेडिकोलीगल संस्थान को प्राप्त हुआ। डॉ. विकास कुमार ध्रुव, प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान द्वारा उपलब्ध समस्त दस्तोवजों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभिमत दिया गया कि मृतक की मृत्यु मस्तिष्क के बांयी तरफ की रक्त धमनी (Left M.C.A.) के फटने एवं रक्त जमा होने तथा उसकी जटिलताओं के कारण हुई थी। मृतक के हृदय एवं फेफड़ों में बीमारी के स्पष्ट प्रमाण थे। सिर में ताजा चोंट के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। मृत्यु की प्रकृति स्वाभाविक (Natural) थी।

डॉ. विकास कुमार ध्रुव माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद जिला धमतरी के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए एवं बयान दिये। डॉ. विकास कुमार ध्रुव, प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान के अभिमत एवं कथन को माननीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना एवं प्रकरण क्र. 736/2016 में अपने आदेश दिनांक

28.07.2023 में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की धारा 279, 337, 304ए भा.द.सं. के अपराध से अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं होने पर दोषमुक्त किया।

(2). दिनांक 31.12.2019 को पुलिस अधीक्षक जिला बालोद थाना डौंडीलोहारा से मेडिकोलीगल विशेषज्ञ अभिमत हेतु एक प्रकरण प्राप्त हुआ। एक 23 वर्षीया नवविवाहिता स्त्री अपने पति के साथ दिनांक 30.08.2019 को रात्रि भोजन कर कमरा में सोयी थी। दिनांक 31.08.2019 को प्रातः 4 बजे उसके पति के द्वारा जगाने का प्रयास करने पर बातचीत नहीं कर रही थी, जिसे शासकीय अस्पताल डौंडीलोहारा ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। दस्तावेजों के अनुसार मुंह के बांयी तरफ लार निकला हुआ था, मुंह अधखुला था, पेशाब निकला हुआ था, शरीर में अन्य कोई जाहिरा चोंट-खरोंच के निशान नहीं थे। श्वासं नली में झाग मौजूद था, गर्दन की वृहद वाहिकाएं अधिक मात्रा में खून से भरी होने के कारण फूली हुई थी, हृदय के दांयी ओर खून भरा हुआ था जबकि बांयी ओर खाली था, मूत्राशय खाली था, आंतरिक अवयव स्वस्थ एवं congested थे। शासकीय अस्पताल डौंडीलोहारा के चिकित्सकों की टीम द्वारा शव परीक्षण के दौरान दो स्लाईड Vaginal Smear की बनाई गयी जिसकी रिपोर्ट (FSL Raipur) में मानव शुक्राणु पाये गये। चिकित्सकों के मतानुसार मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका एवं Viscera परिरक्षण कर रसायनिक परीक्षण हेतु पुलिस को सौंपा गया। Viscera रिपोर्ट (FSL Raipur) जहर के लिये ऋणात्मक था। पुलिस द्वारा क्वेरी (Query) करने पर संबंधित चिकित्सकों द्वारा लेख किया गया कि मृतिका की मृत्यु का कारण कोई आकस्मिक बीमारी हो सकती है, बीमारी का नाम बताना संभव नहीं है। प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान डॉ. विकास कुमार ध्रुव द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 21.03.2020 को डॉ. विकास

कुमार ध्रुव द्वारा अभिमत दिया गया कि मृतिका की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई थी, मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

डॉ. विकास कुमार ध्रुव द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त धारा 304 (B) पर भी कार्यवाही किया गया। डॉ. विकास कुमार ध्रुव माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब दिये। डॉ. विकास कुमार ध्रुव, प्रभारी निदेशक मेडिकोलीगल संस्थान के अभिमत एवं कथन को माननीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना एवं प्रकरण क्र. 39/2020 में अपने आदेश नांक 15.07.2024 में अभियुक्त (मृतिका के पति) को धारा 302 में दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास एंव अर्थदण्ड से दंडित किया।